

प्रेषक,

डॉ० रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ०प्र०।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ दिनांक 27 मई, 2021

विषय-प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पहुंच मार्गों का मरम्मत/पुनर्निर्माण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को जोड़ने वाले पहुंच मार्गों की कतिपय जनपदों में स्थिति अत्यन्त ही जीर्ण-शीर्ण एवं खराब है।

2. आप अवगत ही है कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने एवं उपचार आदि में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन स्वास्थ्य केन्द्रों को जोड़ने वाले पहुंच मार्गों की स्थिति जीर्ण-शीर्ण होने के कारण Vaccination एवं उपचार आदि के लिये ऐसे स्वास्थ्य केन्द्रों पर पहुंचने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

3. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को जोड़ने वाले पहुंच मार्गों के मरम्मत/पुनर्निर्माण किये जाने हेतु सम्बन्धित निकाय द्वारा स्वयं के स्रोत/निकाय निधि से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। यदि निकाय स्रोत/निकाय निधि पर्याप्त न हो तो निकायों द्वारा राज्य वित्त आयोग, अवस्थापना विकास निधि एवं गाइडलाइन्स में अनुमन्यता की स्थिति में केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग भी उक्त पहुंच मार्गों के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु किया जा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पहुंच मार्ग के मरम्मत/पुनर्निर्माण के संबंध में निकायवार/जनपदवार संकलित सूचना प्रारूप-1 पर तथा प्रारूप-2 पर पहुंच मार्ग के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण की मासिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 30 तारीख को निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० को उपलब्ध कराई जायेगी। प्रारूप-1 पर वांछित सूचना दिनांक-29.05.2021 तक निदेशालय को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय, जिसकी संकलित सूचना शासन को दिनांक-31.05.2021 तक स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा प्रेषित की जायेगी तथा प्रारूप-2 पर संकलित सूचनाएं निदेशालय द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को उपलब्ध करायी जायेगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-प्रारूप-01 एवं 02।

भवदीय,

(डॉ० रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सहायक वेबमास्टर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

PHC/CHC /Urban CHC तक पहुंच मार्ग के मरम्मत/पुनर्निर्माण की स्थिति/सूचना।

प्रारूप-01

क्रमांक	जनपद का नाम	निकाय का नाम	PHC/CHC /Urban CHC आदि की संख्या जिनमें पहुंच मार्ग के मरम्मत/पुनर्निर्माण की आवश्यकता है	मरम्मत किए गये मार्गों की संख्या	पुनर्निर्मित मार्गों की संख्या	अभ्युक्ति
			(सूची अलग से संलग्न करें)			

PHC/CHC /Urban CHC तक पहुंच मार्ग के मरम्मत/पुनर्निर्माण की स्थिति/ की मासिक सूचना।

प्रारूप-02

क्रमांक	जनपद का नाम	निकाय का नाम	माह में मरम्मत किए गये मार्गों की संख्या PHC/CHC /Urban CHC के नाम सहित (सूची अलग से संलग्न करें)	माह में पुनर्निर्माण किए गये मार्गों की संख्या PHC/CHC /Urban CHC के नाम सहित (सूची अलग से संलग्न करें)	मरम्मत किये गये मार्गों की क्रमिक संख्या	पुनर्निर्मित किये गये मार्गों की क्रमिक संख्या	मरम्मत हेतु शेष मार्गों की संख्या	पुनर्निर्माण हेतु शेष मार्गों की संख्या